

भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3280  
08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की प्रगति की स्थिति

3280. श्रीमती संध्या राय:

श्री दामोदर अग्रवाल:  
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:  
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:  
श्री पी. पी. चौधरी:  
श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी:  
कैप्टन बृजेश चौटा:  
श्रीमती कमलेश जांगड़े:  
श्री आलोक शर्मा:  
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:  
श्री परिमल शुक्ला बैद्य:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेष रूप से असम, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान के पाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले सहित राज्यवार और जिलावार स्थापित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) की संख्या कितनी है और उनकी स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या हैं;

(ख) इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला का ब्यौरा क्या है;

(ग) देशभर में राज्यवार और विशेष रूप से राजस्थान, असम और मध्य प्रदेश सहित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की प्रगति की स्थिति, का राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है और, पूर्णता, संचालन और रोगियों की संख्या के संदर्भ में राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन केंद्रों पर तैनात स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की संख्या कितनी है और ये किन-किन पदों पर हैं तथा उक्त कर्मियों की राज्यवार, विशेष रूप से उपर्युक्त स्थानों पर क्या जिम्मेदारियों दी गई हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और दक्षिण कन्नड़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित, राज्यवार और जिलावार कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है; और

(च) पिछले पाँच वर्षों के दौरान असम के विभिन्न जिलों में कितनी धनराशि आवंटित और खर्च की गई है?

उत्तर  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर पोर्टल पर उपलब्ध रिपोर्ट अनुसार,

दिनांक 15.07.2025 तक देशभर के संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक-I** में संलग्न है। असम, मध्य प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की जिला-वार संख्या **अनुलग्नक-II** में संलग्न है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ ज़िले में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या 452 है तथा राजस्थान के पाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या 418 है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से उप-स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ बनाकर समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं, संचारी रोग, गैर-संचारी रोग, तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए निवारक, प्रोत्साहनात्मक, पुनर्वासात्मक तथा उपचारात्मक देखभाल प्रदान करते हैं जो सेवाओं के एक विस्तृत दायरे को कवर करता है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में योग, साइकिलिंग, और ध्यान जैसी तंदुरुस्ती से संबंधित क्रियाकलाप भी आयोजित किए जाते हैं। राजस्थान, असम और मध्य प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में दिनांक 15.07.2025 तक दर्ज किए गए फुटफाल की जानकारी **अनुलग्नक -I** में संलग्न है।

उप-स्वास्थ्य केंद्र-आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के संचालन दिशा-निर्देशों में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक नर्स दाई तथा कैचमेंट क्षेत्र में आशा कार्यकर्ताओं के साथ-साथ बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता-पुरुष का प्रावधान किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र-आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए, मानकों में मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, हेल्थ असिस्टेंट और लैब तकनीशियन का प्रावधान है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और कर्नाटक सहित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, राज्य कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना (एसपीआईपी) की स्वीकृतियाँ और व्यय विवरण **अनुलग्नक-III** में संलग्न है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत असम में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक की राज्य कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना (एसपीआईपी) की स्वीकृतियाँ और व्यय विवरण निम्नलिखित है:

(लाख में)

वित्तीय वर्ष	एसपीआईपी स्वीकृतियाँ	व्यय
2020-21	34,894.82	10,115.53
2021-22	14,801.60	8,814.22
2022-23	23,445.27	7,768.40
2023-24	18,267.63	7,772.03
2024-25	7,807.13	5,090.39

अनुलग्नक- I

दिनांक 15.07.2025 तक देश भर में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या और इनमें दर्ज फुटफॉल:

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की कुल संख्या	फुटफॉल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	129	27,12,679
2	आंध्र प्रदेश	11862	36,71,62,264
3	अरुणाचल प्रदेश	491	19,39,824
4	असम	4961	6,48,24,133
5	बिहार	10335	12,31,32,544
6	चंडीगढ़	60	49,34,522
7	छत्तीसगढ़	5887	12,02,36,603
8	दिल्ली	63	67,221
9	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	95	39,23,734
10	गोवा	302	64,53,067
11	गुजरात	10657	28,14,20,525
12	हरियाणा	3263	6,75,03,620
13	हिमाचल प्रदेश	2651	1,99,98,209
14	जम्मू और कश्मीर	3142	4,11,53,615
15	झारखंड	4122	3,58,37,151
16	कर्नाटक	10116	28,46,48,582
17	केरल	7105	24,18,62,342
18	लद्दाख	321	16,79,920
19	लक्षद्वीप	13	7,25,381
20	मध्य प्रदेश	12346	22,05,74,208
21	महाराष्ट्र	12546	35,74,91,621
22	मणिपुर	420	38,50,770
23	मेघालय	617	1,02,23,179
24	मिजोरम	412	41,18,033
25	नागालैंड	470	17,93,816
26	ओडिशा	7360	20,00,41,978
27	पुडुचेरी	127	1,86,63,650
28	पंजाब	3128	5,58,52,440
29	राजस्थान	11539	24,97,89,594
30	सिक्किम	184	24,58,485
31	तमिलनाडु	8454	63,53,47,784
32	तेलंगाना	5052	22,76,46,833
33	त्रिपुरा	1134	79,95,398
34	उत्तर प्रदेश	22999	40,96,33,431
35	उत्तराखंड	2358	2,02,37,264
36	पश्चिम बंगाल	13433	34,71,88,217
	<b>कुल</b>	<b>1,78,154</b>	<b>4,44,31,22,637</b>

दिनांक 15.07.2025 तक असम में संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की जिले-वार संख्या:

क्रम सं.	जिला	संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की कुल संख्या
1	बजाली	54
2	बोंगाईगांव	103
3	कछार	196
4	करीमगंज	132
5	हैलाकांडी	102
6	चिरांग	105
7	कामरूप	312
8	गोलाघाट	176
9	डिब्रूगढ़	288
10	सिबसागर	158
11	जोरहाट	159
12	कार्बी आंगलोंग	107
13	दीमा हसाओ	83
14	धेमाजी	110
15	नागांव	291
16	सोनितपुर	186
17	लखीमपुर	184
18	तिनसुकिया	199
19	गोलपारा	192
20	कोकराझार	183
21	दुबरी	151
22	बारपेटा	161
23	मरीगांव	154
24	कामरूप मेट्रोपॉलिटन	89
25	उदालगुडी	183
26	दारंग	162
27	बक्सा	94
28	नलबाड़ी	150
29	होजाई	64
30	माजुली	44
31	दक्षिण सलमारा मनकाछार	54
32	पश्चिम कार्बी आंगलोंग	48
33	सरायदेव	89
34	विश्वनाथ	152
35	तामुलपुर	46
	<b>कुल</b>	<b>4961</b>

दिनांक 15.07.2025 तक मध्य प्रदेश में संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की जिले-वार संख्या:

क्रम सं.	जिला	संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की कुल संख्या
1	झाबुआ	315
2	सीधी	227
3	सिंगरौली	212
4	अलीराजपुर	212
5	पूर्वी निमाड (खंडवा)	228
6	बुरहानपुर	127
7	अशोकनगर	149
8	बालाघाट	393
9	गुना	194
10	सिवनी	328
11	शहडोल	254
12	अनूपपुर	186
13	दतिया	133
14	छतरपुर	271
15	शिवपुरी	288
16	तिकमगढ़	145
17	मुरैना	266
18	श्यामपुर	118
19	ग्वालियर	192
20	भिंड	252
21	विदिशा	235
22	बड़वानी	365
23	राजगढ़	254
24	भोपाल	170
25	सीहोर	208
26	धर	533
27	शाजापुर	151
28	देवास	261
29	इंदौर	245
30	पश्चिम निमाड (खारगोन)	374
31	मंदसौर	237
32	उमरिया	124
33	नीमच	133
34	रतलाम	234
35	उज्जैन	287
36	दमोह	209
37	पन्ना	183
38	सागर	339
39	सतना	360
40	रीवा	390
41	मंडला	303
42	जबलपुर	272
43	नरसिंहपुर	172
44	डिंडोरी	210
45	छिंदवाड़ा	403
46	हरदा	90
47	रायसेन	199
48	बैतूल	381
49	होशंगाबाद	191
50	कटनी	203
51	निवाडी	50
52	अगार मालवा	90
	<b>कुल</b>	<b>12346</b>

दिनांक 15.07.2025 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की जिले-

वार संख्या:

क्रम सं.	जिला	संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की कुल संख्या
1	शाहदरा	6
2	दक्षिण पूर्व	5
3	दक्षिण	5
4	उत्तर पश्चिम	6
5	उत्तर	6
6	पूर्वोत्तर	4
7	पूर्व	1
8	नई दिल्ली	5
9	केंद्रीय	8
10	पश्चिम	8
11	दक्षिण पश्चिम	9
	कुल	63

**वित्तीय वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए  
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एसपीआईपी स्वीकृतियाँ और व्यय**

(लाख में)

क्रम सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25	
		एसपीआईपी स्वीकृतियाँ	व्यय	एसपीआईपी स्वीकृतियाँ	व्यय	एसपीआईपी स्वीकृतियाँ	व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	15	36.04	10.5	0	59.13	6.91
2	आंध्र प्रदेश	4,089.10	2,568.08	3,745.65	3,762.47	7,912.25	7,154.33
3	अरुणाचल प्रदेश	1,119.21	909.86	883.71	1,015.61	5,641.73	1,012.74
4	असम	23,445.27	7,768.40	18,267.63	7,772.03	7,807.13	5,090.39
5	बिहार	52,749.20	37,203.38	4,026.16	8,887.44	6,588.81	7,987.20
6	चंडीगढ़	124.82	4.85	124.82	74.55	177.82	94.58
7	छत्तीसगढ़	16,633.63	14,878.02	8,478.83	5,169.05	7,296.47	2,791.10
8	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	8.59	1.41	8.59	6.64	27.44	26.43
9	दिल्ली	0	0	0	0	0.00	45.87
10	गोवा	512.89	219.96	53.09	114.17	353.11	122.88
11	गुजरात	13,178.54	6,077.98	8,252.56	6,037.43	20,988.58	5,958.37
12	हरियाणा	11,399.68	4,334.53	5,971.04	3,902.30	10,529.50	4,786.87
13	हिमाचल प्रदेश	928.75	600.85	226.99	791.63	3,934.48	937.80
14	जम्मू और कश्मीर	3,657.24	1,738.18	3,070.74	903.2	3,218.48	1,469.04
15	झारखंड	25,173.69	8,680.99	11,763.54	9,831.75	10,572.72	8,402.34
16	कर्नाटक	42,721.29	7,548.67	13,716.82	4,961.44	2,970.04	4,460.33
17	केरल	18,111.82	4,313.89	26,520.10	2,691.84	3,756.14	3,545.14
18	लक्षद्वीप	3.55	1.95	1.99	6.35	14.00	1.13
19	मध्य प्रदेश	19,073.02	18,548.39	31,381.22	21,343.43	27,564.85	14,223.25
20	महाराष्ट्र	36,566.83	20,794.73	13,564.63	11,836.06	21,122.26	3,082.61
21	मणिपुर	1,114.70	269.2	1,100.70	874.2	1,796.43	606.72
22	मेघालय	2,741.67	4,370.76	717.12	2,441.72	1,586.66	1,953.89
23	मिजोरम	755.57	236.8	671.08	159.35	574.09	76.09
24	नागालैंड	660.61	543.81	785.47	523.2	1,053.65	545.70
25	ओडिशा	15,286.40	14,159.00	13,418.93	9,688.04	15,178.49	8,879.13
26	पुडुचेरी	269.75	192.22	258.95	126.85	242.48	131.81
27	पंजाब	4,613.92	452.19	1,772.53	1,772.53	3,207.89	1,076.51
28	राजस्थान	17,212.36	2,674.92	17,212.36	1,978.03	7,498.70	3,981.50
29	सिक्किम	110.21	210.66	98.65	69.73	38.69	24.14
30	तमिलनाडु	8,096.81	8,153.80	4,339.34	1,098.50	163.70	137.89
31	तेलंगाना	5,202.87	907.86	5,853.78	1,510.43	3,454.81	1,265.06
32	त्रिपुरा	4,421.36	1,389.15	671.46	1,079.68	639.65	447.88
33	उत्तर प्रदेश	74,968.69	36,473.83	178,616.62	37,873.82	107,535.86	20,668.89
34	उत्तराखंड	7,214.59	2,096.87	2,143.06	1,986.99	4,523.07	2,048.07
35	पश्चिम बंगाल	20,608.22	14,404.86	12,605.01	8,487.25	16,173.90	7,502.92
36	लद्दाख	1,870.85	587.07	633.8	293.06	912.02	557.41

## नोट:

- एसपीआईपी स्वीकृतियाँ और व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टों के अनुसार है और अनंतिम हैं।
- व्यय में केंद्र द्वारा जारी की गई राशि, राज्य द्वारा जारी की गई राशि और वर्ष की शुरुआत में व्यय नहीं की गई शेष राशि शामिल है। यह व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है और अनंतिम है। यह व्यय हरियाणा को छोड़कर (दिनांक 30.11.2024 तक अद्यतन) आरसीएच आदि के फ्लेक्सिबल पूल के संबंध में दिनांक 31.12.2024 तक अद्यतन किया गया है।

\*\*\*\*\*